



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229410  
CG-DL-E-03092021-229410

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943

No. 3311]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

सं. 23 / 2015—2020

विषय: अधिसूचना सं. 20 / 2015—20 दिनांक 24.08.2021 के क्रम में आयात के पत्तनों को शामिल करना।

का.आ. 3614(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. 20 / 2015—20 दिनांक 24 अगस्त, 2021 के पैरा 3 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती है:

न्हावा शेवा (आईएनएनएसएआई) पत्तन और एलसीएस पेट्रापोल (आईएनपीटीपीबी) के मौजूदा (2) पत्तनों के अतिरिक्त निम्नलिखित (3) पत्तनों को शामिल किया जाता है—

- मुम्बई समुद्री पत्तन (आईएनबीओएमआई)
- तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आईएनटीयूटीआई)
- विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन (आईएनवीटीजेडआई)

2. अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24 अगस्त, 2021 के तहत यथा अधिदिष्ट अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

**अधिसूचना का प्रभाव:** अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात को अनुमत करने के लिए मुम्बई समुद्री पत्तन (आईएनबीओएमआई), तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आईएनटीयूटीआई), विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन (आईएनवीटीजेडआई) के पत्तनों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(ए)/पार्ट-VI/ई-9019]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2021

**No. 23 /2015-2020**

**Subject : Inclusion of Ports of Import in continuation to Notification 20/2015-20 dated 24.08.2021.**

**S.O. 3614(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT(D&R) Act, 1992 and paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the provision in Para 3 of Notification no. 20/2015-20 dated 24<sup>th</sup> August 2021 as under --

The following (3) ports are included in addition to the existing (2) ports of Nhava Sheva (INNSA1) port and LCS Petrapole (INPTPB) –

- i. Mumbai Sea Port (INBOM1)
- ii. Tuticorin Sea Port (INTUT1)
- iii. Vishakhapatnam Sea Port (INVTZ1)

2. All other conditions as mandated under Notification 20/2015-20 dated 24<sup>th</sup> August 2021 shall continue to apply.

**Effect of the Notification:** The ports of Mumbai Sea Port (INBOM1), Tuticorin Sea Port (INTUT1), Vishakhapatnam Sea Port (INVTZ1) have been additionally included for allowing imports as under Notification 20/2015-20 dated 24.08.2021.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/Part-VI/e-9019]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex- officio Addl. Secy.